समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

मो0 अयुब हसन,पिता- स्व0सकुर, सा0+पो0+थाना-चौसा, जिला- मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1004 (चौसा थाना) एवं एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1983 (चौसा थाना) प्राप्त है, जिस पर दो नाली बन्दूक संख्या 2384 एवं एन0पी0बोर रायफल संख्या- 223991 धारित है। इनके पुत्र मो0 मेराज अहमद, पिता- स्व0मो0 अयुब हसन, सा0+पो0+थाना-चौसा, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- मो0 अयुब हसन की मृत्यु दिनांक 16-01-2013 को हो जाने के उपरान्त दोनों शस्त्रों को चौसा थाना के मालखाना में जमा कर दिया गया। इन दोनों शस्त्रों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुनः मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति मांगा है। चुंकि चौसा थाना मालखाना में जमा शस्त्र पूर्णरूपेण सुरक्षित है। इसलिए मो0 मेराज अहमद से प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् मो0 अयुब हसन, पे0- स्व0 सकुर, सा0+पो0+थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1004 (चौसा थाना) एवं एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1983 (चौसा थाना) को रद्द किया जाता है। मो0 मेराज अहमद को आदेश दिया जाता है कि वे तत्क्षण दोनों शस्त्र से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं पावती रसीद की छायाप्रति जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे नियमानुसार रद्द कर अनुज्ञप्ति पंजी में इसकी प्रवृष्टि की जा सके।

थाना अध्यक्ष, चौसा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 अयुब हसन का दो शस्त्र जो दिनांक 02-10-2013 को थाना मालखाना में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक...06..../श0, मधेपुरा, दिनांक...5-12-13...

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 मेराज अहमद, पिता- स्व0मो0 अयुब हसन, सा0+पो0+थाना-चौसा, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

05/12/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा